संख्या-61/2018/299/35-3-2018-1(42) /2017

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य निर्माण कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-52/2018/145/35-3-2018-1(42)/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-महराजगंज में चिकित्सा विभाग हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-52/2018/145/35-3-2018-1(42)/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 के प्रथम प़ष्ठ पर अंकित तालिका के क्र.सं.-2 में अंकित परियोजना प्रा0 स्वा0 केन्द्र नौतनवा में अस्पताल की चहारदीवारी तथा गेट का निर्माण कार्य की कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 नामित है, किन्तु उक्त शासनादेश में कार्यदायी संस्था का अंकन त्रुटिवश छूट गया है, अत: उक्त परियोजना की कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 अंकित एवं पड़ा जाय है ।

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-2017/(42)1-2018-3-35/145/2018/52दिनांक 06 फरवरी, 2018उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की शेष अन्य शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

भवदीय,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-61/2018/299(1)/ 35-3-2018-1(42)/2017 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी)इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, महराजगंज ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ सहकारिता अनुभाग-1 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) गोरखपुर मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, महराजगंज ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in